राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

सं. एफ. 2(1)डीओपी/ए– II/82 पार्ट II   जयपुर, दिनांकः 4.05.2022

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों का नाम राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा (तृतीय संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **अनुसूची–I का संशोधन.**– राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 से संलग्न अनुसूची– **I** में, शीर्ष **ग्रुप 'क' (चिकित्सा क्षेत्र) (पृथक् महिला और पुरूष संवर्ग)** के अधीन,–

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 1 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"

1.	नर्सिंग अधीक्षक	–	100%	–	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	स्तंभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 4 वर्षों का अनुभव	–

"

(ii) क्रम संख्यांक 3 के सामने विद्यमान भाग (ग) और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"

(ग)वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	–	100%	–	नर्सिंग अधिकारी	स्तंभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्षों का अनुभव	–

"

(iii) क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तंभ संख्यांक 2 के भाग (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''नर्स ग्रेड–II'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''नर्सिंग अधिकारी'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

4/5/22

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव

21/2022